

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 65/2023 बचनवानी बी.एस.शर्मा बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर  
32ए, राजबिहार कॉलोनी, राजकीय कन्या महाविद्यालय के पास स0मा0

GCMS No-2023/134


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
7.11.2023	<p>पत्रावली आज पेश हुयी। अपीलान्त नियत दिनांक को उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्त द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 22.8.2023 लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. यह कि सहायक भूप्रबंधक अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा मौका रिपोर्ट ग्राम आलनपुर तह0सवाईमाधोपुर के आराजी ख0न0 578/1822,578/1823,578/1824, 577 दिनांक 27.8.1993 की मौके पर भू-मापक निरीक्षक द्वारा पैमाईश की जाने पर जो रिकार्ड से कितनी शेष भूमि अतिरिक्त दर्शायी है एवं अतिरिक्त भूमि का उपयोग किस आदेश के तहत अनुराग होटल परिसर, रणथम्भौर रोड सवाईमाधोपुर मे किया गया जा रहा है उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।</li><li>2. यह है कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर एवं राज्य सरकार द्वारा किन किन खसरो मे से कितनी कितनी भूमि गैर मुमकिन नाले की भूमि को अनुराग होटल रणथम्भौर रोड ग्राम आलनपुर तह0 सवाईमाधोपुर के नाम दर्ज की गयी है। भूमि जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।</li><li>3. यह है कि ख0न0 577,304,305,254/3116 एवं 578/1828 की किस्म दर्शाते हुए कुल भूमि मे से कितनी भूमि का कितने वर्षों से अनुराग होटल रणथम्भौर रोड सवाईमाधोपुर द्वारा उपयोग एवं उपभोग किया गया है अलग-अलग खसरो की जमा की गयी लीज राशि की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।</li><li>4. यह है कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर से आवेदक को आज दिनांक तक दी गयी सूचनाओं की सही जानकारी कार्यालय तहसील सवाईमाधोपुर से जनजाति महिला विकास संस्थान मैनपुरा स0मा0 एवं अनुराग होटल रणथम्भौर रोड स0मा0 की दोनो स्थानो की भूमि की लीज राशि सहित सरकारी भूमि संबंधी सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत मांगी गयी सूचनाओं की आवेदक द्वारा मांगी गये आवेदन पत्रों की कितनी सही सूचनाओ से राजस्व रिकार्ड के अनुसार सूचना उपलब्ध करवायी गयी है आपके कार्यालय के आदेश एवं दिनांक सहित प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।</li></ol>

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नहीं। किन्तु अपीलान्ट द्वारा अपनी आपत्ति दिनांक 19.10.2023 को प्रेषित करते हुए अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 22.8.2023 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 की सूचना तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध नहीं करवायी गयी/अपूर्ण उपलब्ध करवायी गयी है। अतः चाही गयी सूचना उपलब्ध करवायी जावे। पैरोकार राजस्व द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक/आरटीआई /23/350 दिनांक 18.10.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक 338 दिनांक 11.10.2023 से बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 में से बिन्दु संख्या 2,3 की आंशिक सूचना जमाबन्दी एवं राजस्व लेखा-5 के पृष्ठ की प्रमाणित प्रति अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। शेष बिन्दु संख्या 1 की सूचना तहसील कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने तथा बिन्दु संख्या 3 की शेष सूचना व बिन्दु संख्या 4 की सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण अपीलान्ट को दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 22.8.2023 में चाही गयी सूचना तृतीय पक्ष की सूचना की श्रेणी में आती है तथा उक्तानुसार चाही जा रही सूचना में विस्तृत लोकहित भी प्रकट नहीं होता है इसलिए उक्त सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

  
(सुरेश कुमार ओला)  
जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर